**बिहार सरकार,**
**कृषि विभाग।**

पत्र संख्या–DoH/CS/24/2025–पी०पी०एम०(शाखा)-19-130-/ कृ०, पटना, दिनांक – 02.09. ,2025

प्रेषक,

**कल्पना कुमारी,**
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

**महालेखाकार, बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

**विषय :** **एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षो के लिए पपीता विकास योजना हेतु कुल 150.75 लाख (एक करोड़ पचास लाख पचहत्तर हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 90.45 लाख (नब्बे लाख पैतालीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षो के लिए पपीता विकास योजना हेतु कुल 150.75 लाख (एक करोड़ पचास लाख पचहत्तर हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 90.45 लाख (नब्बे लाख पैतालीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पपीता के बाग का रकवा को बढ़ाते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों के आमदनी में वृद्धि करना है।

3. योजना का भौतिक आकार **अनुसूची–1** के अनुरूप कुल 150.75 लाख रूपये की है तथा योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में किया जाएगा।

4. पपीता के क्षेत्र विस्तार योजना अन्तर्गत देय अनुदान की राशि दो वर्षों (60:40) में भुगतान किया जाएगा।

   इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में 90.45 लाख (नब्बे लाख पैतालीस हजार) रूपये, वित्तीय वर्ष 2026–27 में 60.30 लाख (साठ लाख तीस हजार) रूपये मात्र कुल राशि 150.75 लाख (एक करोड़ पचास लाख पचहत्तर हजार) रूपये का पपीता विकास योजना पर व्यय किया जायेगा।

   एकीकृत्त बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत पपीता विकास योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है, इसमें राज्य योजना मद से अतिरिक्त टॉप–अप 20 प्रतिशत का भी प्रावधान किया गया है।

5. इस योजना का सूत्रण पपीता के क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने हेतु किया गया है।

6. पपीता के पौध रोपण सामग्री की व्यवस्था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली एवं प्लग टाईप नर्सरी, कटिहार तथा भोजपुर के द्वारा किया जायेगा।

7. भारत सरकार के पत्र संख्या–03/03/2025–KY दिनांक 01.01.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु MIDH योजना अंतर्गत कुल 5200.00 लाख रूपये का उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के विरूद्ध State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 28.04.2025 को स्वीकृत 10833.00 लाख रूपये की वार्षिक कार्य योजना पर भारत सरकार के पत्र संख्या–03/03/2025–KY दिनांक–17.03.2025 से अनुमोदन प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र संख्या–113 (BR 114) दिनांक 19.05.2025 द्वारा MIDH योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल 2600.00 लाख रूपये (सामान्य श्रेणी के लिए 2153.06 लाख रूपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 413.66 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए कुल 33.28 लाख रूपये) की राशि विमुक्त की गई है।
8. चतुर्थ कृषि रोड मैप में सन्निहित कार्यक्रमों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की कार्य योजना तैयार की गई है जो State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 28.04.2025 को तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 17.03.2025 को अनुमोदित है।
9. इस योजना अंतर्गत पपीता के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 75,000.00 (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत प्रस्तावित है। पपीता की खेती हेतु 2x2 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 2500 पौधा की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त इकाई लागत 75,000.00 (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान एवं राज्य योजना से अतिरिक्त टॉप–अप मद के रूप में 20% सहित कुल 60% अर्थात 45,000 (पैंतालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दो किस्तों में देने का प्रस्ताव है। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 27,000.00 (सत्ताईस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात् 18,000.00 (अठारह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान की प्रथम् किस्त की राशि चयनित किसानों को उनके द्वारा कार्य निष्पादन उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन एवं संबंधित बाग का Geo Tag फोटो जो अभिप्रमाणित हो संलग्न रहने के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन एवं संबंधित बाग का Geo Tag फोटो जो अभिप्रमाणित हो संलग्न रहने के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जाएगा।
10. योजना का कार्यान्वयन राज्य के जिलों यथा– भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चम्पारण, पटना, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी एवं वैशाली में किया जायेगा।
11. कृषकों को योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।
12. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जायेगा।

13. डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत कृषक के द्वारा योजनाओं का लाभ लेने हेतु हॉर्टिकल्चर के वेबसाईट के लिंक http://horticulture.bihar. gov.in पर जाकर Dashboard पर "फल से संबंधित योजना" के "आवेदन करें" पर Click कर उपलब्ध "पपीता विकास योजना" पर Click कर आवेदन किया जायेगा।
14. DBT कार्यक्रम के तहत् लाभुकों को अनुमान्य अनुदान की भुगतान दो विधि In cash transfer या In Kind Transfer में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्त्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।
15. योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिलों के सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। योजना अन्तर्गत जिलावार/वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–2 एवं 3 के रूप में संलग्न है।
16. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं प्रशासी विभाग द्वारा संसूचित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में संसूचित बजट उपबंध के अधीन अनुमोदित Cost Norms के अनुरूप किया जायेगा।
17. योजनान्तर्गत आय–व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जायेगा।
18. प्रावधानित बजट के आलोक में राशि का व्यय केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिए सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 83.903 प्रतिशत, 15.00 प्रतिशत एवं 1.097 प्रतिशत तथा टॉप अप के लिए सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 78.537 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 1.463 प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभुक में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
19. कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप केन्द्रांश की राशि तथा अतिरिक्त टॉप–अप की राशि ट्रेजरी मोड में वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निदेशक उद्यान, बिहार–सह–मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि एवं टॉप–अप की राशि को SNA Sparsh के माध्यम से व्यय किया जायेगा। निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक के द्वारा केन्द्रांश तथा अतिरिक्त टॉप–अप की राशि का लिमिट व्यय हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को लक्ष्य के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
20. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी– सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC- 25 पर CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा।
21. एकीकृत बागवानी विकास मिशन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त एवं राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान –सह– सदस्य सचिव, मिशन निदेशक नामित हैं, जबकि जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी तथा कार्यकारी प्रधान –सह– सदस्य सचिव सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी नामित हैं।

22. नालंदा एवं वैशाली जिला में Indo-Israel Village of Excellence (IIVoE) कार्यक्रम अन्तर्गत Village Specific Plan के अनुसार योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जा सकेगा।
23. इस योजनान्तर्गत कुल 13400 मानव दिवस का रोजगार सृजन होने की संभावना है।
24. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्तन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।
25. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना अंतर्गत व्यय किया जायेगा।
26. योजना अन्तर्गत राशि व्यय के पश्चात् उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना एवं कृषि विभाग को निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।
27. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, उद्यान, बिहार होंगे।
28. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रू0 में)

| बजट शीर्ष | उपबंधित राशि | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| केन्द्रांश | | |
| मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन। | 7075.52 | 50.59351 |
| मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01– 2401007890235, पी.एफ.एम.एस. कोड–4138, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन। | 1470.72 | 9.04500 |
| मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0257–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007960257, पी०एफ०एम० एस० कोड– 4138, विषय शीर्ष 0257–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन। | 107.59 | 0.66149 |
| **योग** | **8653.83** | **60.30000** |
| **प्रथम अनुपूरक से पूर्व राज्यांश की राशि** | **13.17** | **0.00** |
| **कुल योग** | **8667.00** | **60.30000** |
| अतिरिक्त टॉप–अप राज्य योजना मद से | | |
| मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी | 19084.49 | 23.67891 |
| मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी | 4860.00 | 6.03000 |
| मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी | 355.51 | 0.44109 |
| **योग** | **24300.00** | **30.15000** |
| **दायित्व की राशि** | **0.00** | **0.00** |
| **कुल योग** | **24300.00** | **30.15000** |
| **सकल योग** | **32967.00** | **90.45000** |
| नोट–केन्द्रांश अन्तर्गत सामान्य कोटि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मद में उपबंधित राशि उपलब्ध नहीं है। द्वितीय/अगले अनुपूरक आगणन प्राप्ति पश्चात् ही आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। | | |

D:\Sarita\Yojna 25-26\Puja Mam\yojana\saction order\Papaya 150.75 lakh.doc

29. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में नई योजना के रूप में योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या DoH/CS/24/2025 के पृ0सं0–41/टि. पर दिनांक–02.09.2025 को प्राप्त है।
30. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
31. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–DoH/CS/24/2025 के पृष्ठ संख्या–40/टि० दिनांक–02.09.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–710 दिनांक–02.09.2025 है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/24/2025– पी०पी०एम०(शाखा)-19-130-/कृ०, पटना, दिनांक- 02/09/2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/24/2025–पी०पी०एम०(शाखा)-19-130-/कृ०, पटना, दिनांक 02/09/2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/24/2025–पी०पी०एम०(शाखा)-19-130-/कृ०, पटना, दिनांक 02/09/2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/24/2025–पी०पी०एम०(शाखा)-19-130-/कृ०, पटना, दिनांक 02/09/2025

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/24/2025–पी०पी०एम०(ग्राम्य)-19-130-/कृ०, पटना, दिनांक 02/09/2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 2/9

**अपर सचिव,**
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/24/2025–पी०पी०एम०(ग्राम्य)-19-130-/कृ०, पटना, दिनांक 02/09/2025

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/- 2/9

**अपर सचिव,**
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Sarita\Yojna 25-26\Puja Mam\yojana\saction order\Papaya 150.75 lakh.doc

## अनूसुची–1

**वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 कुल दो वर्षों के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत पपीता विकास योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी**

(राशि लाख रूपये में)

| क्र० सं० | अव्ययव | इकाई लागत/हे० | सहायता अनुदान का प्रतिशत | | | अनुदान की राशि/हे० | वित्तीय वर्ष 2025–26 में देय अनुदान की राशि | वित्तीय वर्ष 2026–27 में देय अनुदान की राशि | भौतिक लक्ष्य (हे०) | वित्तीय लक्ष्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | केन्द्रांश | अतिरिक्त टॉप–अप | कुल | | | | | केन्द्रांश | अतिरिक्त टॉप–अप | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | वित्तीय वर्ष 2025–26 में पपीता का क्षेत्र विस्तार | 0.75 | 40% | 20% | 60% | 0.45000 | अनुदान की राशि का 60% (0.27000) | - | 335.00 | 60.30000 | 30.15000 | 90.45000 |
| 2 | वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 2025–26 में लगाए गए पपीता का 1st Year Maintenance | | | | | | - | अनुदान की राशि का 40% (0.18000) | 335.00 | 40.20000 | 20.10000 | 60.30000 |
| वित्तीय वर्ष, 2025–26 एवं 2026–27 में पपीता के लिए कुल दो वर्षों की कुल अनुदान की राशि। | | | | | | | | | | **100.50000** | **50.25000** | **150.75000** |

उपेन्द्र कुमार

निदेशक उद्यान
बिहार, पटना।

## अनूसुची–2

**वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत पपीता विकास योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी**

**(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)**

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2025–26 का वित्तीय लक्ष्य (@0.27000 लाख / हे०) | | | वित्तीय वर्ष 2026–27 का वित्तीय लक्ष्य (@0.18000 लाख / हे०) | | | कुल वित्तीय लक्ष्य (7+11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | केन्द्रांश | टॉप–अप | कुल | केन्द्रांश | टॉप–अप | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **भोजपुर** | 15 | 2.70000 | 1.35000 | 4.05000 | 1.80000 | 0.90000 | 2.70000 | 6.75000 |
| 2 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **बक्सर** | 10 | 1.80000 | 0.90000 | 2.70000 | 1.20000 | 0.60000 | 1.80000 | 4.50000 |
| 3 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **गोपालगंज** | 20 | 3.60000 | 1.80000 | 5.40000 | 2.40000 | 1.20000 | 3.60000 | 9.00000 |
| 4 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **जहानाबाद** | 10 | 1.80000 | 0.90000 | 2.70000 | 1.20000 | 0.60000 | 1.80000 | 4.50000 |
| 5 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **लखीसराय** | 10 | 1.80000 | 0.90000 | 2.70000 | 1.20000 | 0.60000 | 1.80000 | 4.50000 |
| 6 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **मधेपुरा** | 15 | 2.70000 | 1.35000 | 4.05000 | 1.80000 | 0.90000 | 2.70000 | 6.75000 |
| 7 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **बेगुसराय** | 35 | 6.30000 | 3.15000 | 9.45000 | 4.20000 | 2.10000 | 6.30000 | 15.75000 |
| 8 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **भागलपुर** | 15 | 2.70000 | 1.35000 | 4.05000 | 1.80000 | 0.90000 | 2.70000 | 6.75000 |
| 9 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **दरभंगा** | 12 | 2.16000 | 1.08000 | 3.24000 | 1.44000 | 0.72000 | 2.16000 | 5.40000 |
| 10 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **गया** | 12 | 2.16000 | 1.08000 | 3.24000 | 1.44000 | 0.72000 | 2.16000 | 5.40000 |

उपेन्द्र कुमार

(अभिषेक कुमार)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2025–26 का वित्तीय लक्ष्य (@0.27000 लाख/हे०) | | | वित्तीय वर्ष 2026–27 का वित्तीय लक्ष्य (@0.18000 लाख/हे०) | | | कुल वित्तीय लक्ष्य (7+11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | केन्द्रांश | टॉप–अप | कुल | केन्द्रांश | टॉप–अप | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **कटिहार** | 5 | 0.90000 | 0.45000 | 1.35000 | 0.60000 | 0.30000 | 0.90000 | 2.25000 |
| 12 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **खगड़िया** | 8 | 1.44000 | 0.72000 | 2.16000 | 0.96000 | 0.48000 | 1.44000 | 3.60000 |
| 13 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **मुजफ्फरपुर** | 20 | 3.60000 | 1.80000 | 5.40000 | 2.40000 | 1.20000 | 3.60000 | 9.00000 |
| 14 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **नालंदा** | 10 | 1.80000 | 0.90000 | 2.70000 | 1.20000 | 0.60000 | 1.80000 | 4.50000 |
| 15 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **पश्चिम चम्पारण** | 18 | 3.24000 | 1.62000 | 4.86000 | 2.16000 | 1.08000 | 3.24000 | 8.10000 |
| 16 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **पटना** | 25 | 4.50000 | 2.25000 | 6.75000 | 3.00000 | 1.50000 | 4.50000 | 11.25000 |
| 17 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण** | 20 | 3.60000 | 1.80000 | 5.40000 | 2.40000 | 1.20000 | 3.60000 | 9.00000 |
| 18 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **पूर्णियाँ** | 5 | 0.90000 | 0.45000 | 1.35000 | 0.60000 | 0.30000 | 0.90000 | 2.25000 |
| 19 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **सहरसा** | 10 | 1.80000 | 0.90000 | 2.70000 | 1.20000 | 0.60000 | 1.80000 | 4.50000 |
| 20 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **समस्तीपुर** | 30 | 5.40000 | 2.70000 | 8.10000 | 3.60000 | 1.80000 | 5.40000 | 13.50000 |
| 21 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **मधुबनी** | 10 | 1.80000 | 0.90000 | 2.70000 | 1.20000 | 0.60000 | 1.80000 | 4.50000 |
| 22 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **वैशाली** | 20 | 3.60000 | 1.80000 | 5.40000 | 2.40000 | 1.20000 | 3.60000 | 9.00000 |
| **कुल** | | **335** | **60.30000** | **30.15000** | **90.45000** | **40.20000** | **20.10000** | **60.30000** | **150.75000** |

उपेन्द्र कुमार

निदेशक उद्यान
बिहार, पटना।

अनूसुची–3

## वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत पपीता विकास योजना का जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | केन्द्रांश | | | | टॉप–अप | | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य वर्ग (83.903%) | अनुसूचित जाति (15%) | अनुसूचित जनजाति (1.097%) | कुल | सामान्य श्रेणी @78.537% | अनुसूचित जाति @20% | अनुसूचित जनजाति @1.463% | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **भोजपुर** | 2.26538 | 0.40500 | 0.02962 | 2.70000 | 1.06025 | 0.27000 | 0.01975 | 1.35000 | 4.05000 |
| 2 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **बक्सर** | 1.51025 | 0.27000 | 0.01975 | 1.80000 | 0.70683 | 0.18000 | 0.01317 | 0.90000 | 2.70000 |
| 3 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **गोपालगंज** | 3.02051 | 0.54000 | 0.03949 | 3.60000 | 1.41367 | 0.36000 | 0.02633 | 1.80000 | 5.40000 |
| 4 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **जहानाबाद** | 1.51025 | 0.27000 | 0.01975 | 1.80000 | 0.70683 | 0.18000 | 0.01317 | 0.90000 | 2.70000 |
| 5 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **लखीसराय** | 1.51025 | 0.27000 | 0.01975 | 1.80000 | 0.70683 | 0.18000 | 0.01317 | 0.90000 | 2.70000 |
| 6 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **मधेपुरा** | 2.26538 | 0.40500 | 0.02962 | 2.70000 | 1.06025 | 0.27000 | 0.01975 | 1.35000 | 4.05000 |
| 7 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **बेगुसराय** | 5.28589 | 0.94500 | 0.06911 | 6.30000 | 2.47392 | 0.63000 | 0.04608 | 3.15000 | 9.45000 |
| 8 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **भागलपुर** | 2.26538 | 0.40500 | 0.02962 | 2.70000 | 1.06025 | 0.27000 | 0.01975 | 1.35000 | 4.05000 |
| 9 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **दरभंगा** | 1.81231 | 0.32400 | 0.02369 | 2.16000 | 0.84820 | 0.21600 | 0.01580 | 1.08000 | 3.24000 |

उपेन्द्र कुमार

(अभिषेक कुमार)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | केन्द्रांश | | | | टॉप–अप | | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य वर्ग (83.903%) | अनुसूचित जाति (15%) | अनुसूचित जनजाति (1.097%) | कुल | सामान्य श्रेणी @78.537% | अनुसूचित जाति @20% | अनुसूचित जनजाति @1.463% | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **गया** | 1.81231 | 0.32400 | 0.02369 | 2.16000 | 0.84820 | 0.21600 | 0.01580 | 1.08000 | 3.24000 |
| 11 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **कटिहार** | 0.75513 | 0.13500 | 0.00987 | 0.90000 | 0.35342 | 0.09000 | 0.00658 | 0.45000 | 1.35000 |
| 12 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **खगड़िया** | 1.20820 | 0.21600 | 0.01580 | 1.44000 | 0.56547 | 0.14400 | 0.01053 | 0.72000 | 2.16000 |
| 13 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **मुजफ्फरपुर** | 3.02051 | 0.54000 | 0.03949 | 3.60000 | 1.41367 | 0.36000 | 0.02633 | 1.80000 | 5.40000 |
| 14 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **नालंदा** | 1.51025 | 0.27000 | 0.01975 | 1.80000 | 0.70683 | 0.18000 | 0.01317 | 0.90000 | 2.70000 |
| 15 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **पश्चिम चम्पारण** | 2.71846 | 0.48600 | 0.03554 | 3.24000 | 1.27230 | 0.32400 | 0.02370 | 1.62000 | 4.86000 |
| 16 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **पटना** | 3.77564 | 0.67500 | 0.04937 | 4.50000 | 1.76708 | 0.45000 | 0.03292 | 2.25000 | 6.75000 |
| 17 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण** | 3.02051 | 0.54000 | 0.03949 | 3.60000 | 1.41367 | 0.36000 | 0.02633 | 1.80000 | 5.40000 |
| 18 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **पूर्णियाँ** | 0.75513 | 0.13500 | 0.00986 | 0.90000 | 0.35341 | 0.09000 | 0.00659 | 0.45000 | 1.35000 |
| 19 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **सहरसा** | 1.51025 | 0.27000 | 0.01975 | 1.80000 | 0.70683 | 0.18000 | 0.01317 | 0.90000 | 2.70000 |

उपेन्द्र कुमार

(अभिषेक कुमार)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | केन्द्रांश | | | | टॉप–अप | | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य वर्ग (83.903%) | अनुसूचित जाति (15%) | अनुसूचित जनजाति (1.097%) | कुल | सामान्य श्रेणी @78.537% | अनुसूचित जाति @20% | अनुसूचित जनजाति @1.463% | कुल | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 20 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **समस्तीपुर** | 4.53076 | 0.81000 | 0.05924 | 5.40000 | 2.12050 | 0.54000 | 0.03950 | 2.70000 | 8.10000 |
| 21 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **मधुबनी** | 1.51025 | 0.27000 | 0.01975 | 1.80000 | 0.70683 | 0.18000 | 0.01317 | 0.90000 | 2.70000 |
| 22 | सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी, **वैशाली** | 3.02051 | 0.54000 | 0.03949 | 3.60000 | 1.41367 | 0.36000 | 0.02633 | 1.80000 | 5.40000 |
| **कुल** | | **50.59351** | **9.04500** | **0.66149** | **60.30000** | **23.67891** | **6.03000** | **0.44109** | **30.15000** | **90.45000** |

उपेन्द्र कुमार

निदेशक उद्यान
बिहार, पटना।